न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2018/2154

प्रकरण क्रमांक   /२०१८ निगरानी

श्री रा०स० कु० भदौरिया
द्वारा आज दि. 3-4-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 6-4-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 3-4-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

रमेश दुबे पुत्र श्री रामगोपाल दुबे,
दुबे फार्म हाउस, बाई पास मार्ग, भिण्ड,
तहसील व जिला भिण्ड-मध्यप्रदेश ।

------ प्रार्थी

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर महोदय,
भिण्ड-मध्यप्रदेश ।

----- प्रतिप्रार्थी

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार महोदय, तहसील भिण्ड, दिनांक २८-०३-२०१८, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता १९५९। प्र०क्र० २ /१७-१८/अ-६८.

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना -पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी [illegible]

XXIX(a)-BR(H)-11

283

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2018/2154

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	